न्यायालय संभागीय आयुक्त,जयपुर।

अपील संख्याः–जीसीएमएस 2020/175

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र हरफूल सिंह,
2. विक्रम सिंह पुत्र हरफूल सिंह,
3. सुरेन्द्रसिंह पुत्र हरफूल सिंह,
4. सोहनी देवी पत्नी हरफूल सिंह, समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम टोंक छिलरी भू अभिलेख नि. हचराना, तहसील नवलगढ जिला झून्झुनू।

–––अपीलांट्स

बनाम

01. तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।

––रेस्पोडेन्ट

02. गोरू पुत्र गणेशा,
03. आशीष पुत्र हजारीलाल नाबालिंग जरिये संरक्षिका माता इन्द्रादेवी
04. इन्द्रादेवी पत्नी हजारीलाल,
05. चकिता पुत्री बलबीर,
06. सुमन पुत्री बलबीर,
07. राकेश पुत्र बलबीर,
08. विनोद देवी पत्नी बलबीर,
09. मुन्नीदेवी पत्नी श्रीराम,
10. महाबीर पुत्र कुम्भाराम,
11. रामकुमार पुत्र कुम्भाराम,
12. हरपाल पुत्र कुम्भाराम,
13. हजारी पुत्र नथूराम, समस्त जाति जाट निवासी ग्राम टोंक छिलरी भू.अभि.नि. हचराना तहसील नवलगढ, जिला झुन्झनू।

–––तरतीबी रेस्पोडेंट्स

निर्णय

दिनांक 17.08.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनाँक 15.11.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि तकाकथित रास्ते हेतु जो भूमि गैर मु. रास्ता दर्ज की गई है उस भूमि के अपीलार्थीगण एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट रिर्कोडेड काबिज खातेदार काश्तकार है व राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं अपनी खातेदारी की भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है तथा उक्त महत्वपूर्ण तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही कोई सुनवाई का मौका ही दिया गया और बिना सुनवाई किये ही अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि कम कर दी गई जो कि विधिक प्रावधानों एवं कानूनी प्रक्रिया के विपरित होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होन आगे कथन किया है कि

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट रूप से विदित था कि जिस विवादित भूमि के सम्बन्ध में उनके द्वारा कार्यवाही की जा रही है वह सरकारी भूमि नही है तथा उक्त भूमि के अपीलार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जो प्रकरण में आवश्यक व हितप्रभावी व्यक्ति थे जिन्हे आदेश पारित करने से पूर्व समुचित सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया जाना व सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुऐ विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरित जाकर अपनी मनमर्जी पूर्वक अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.11.2021 पारित किया है जो हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिनांक 15.11.2021 को प्रस्तुत किया गया था उस प्रार्थना पत्र के साथ भूमि खसरा नम्बर 903, 900, 897, 965, 904 की जमाबन्दी भी प्रस्तुत की गई जिसमें कुछ पक्षकारान तो नाबालिंग है और नाबालिंग के विरूद्ध कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व प्रकरण में विधिक रूप से वादमित्र नियुक्त कर समुचित सुनवाई की जाकर ही कोई निर्णय पारित किया जा सकता है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में आदेश पारित करने से पूर्व किसी भी विधिक प्रक्रिया की पालना नही की गई और यहॉ तक की प्रकरण में पक्षकार बनाये बिना ही अपीलान्ट की खातेदारी भूमि कम कर दी गई और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की भूमि को विधि विरूद्ध तरीके से खातेदारी कम कर रास्ता कायम कर दिया जो गलत है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अन्य व्यक्ति रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से सांठ–गांठ कर उपरोक्त विधिक प्रावधनों के विपरित अपीलाधीन आदेश की आड़ में फायदा उठाकर अपीलार्थीगण जो कि ग्रामीण, अशिक्षित, गरीब काश्तकार व्यक्ति है जिन्हे जबरन बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का प्रयास कर व कृषि भूमि को मौके पर जबरन अकृषि में तब्दील करने की कुचेष्टा कर रहे है तथा इसी क्रम तथाकथित 20 से 30 फिट रास्ते का अंकन बाला–बाला ही करवा लिया गया जबकि अपीलान्ट कमजोर एवं सीधे–साधे किसान है जो उक्त का सामना करने में असमर्थ है इसलिये भी अपीलान्ट को उसके विधिक हक अधिकारों एवं उसके सहखातेदारी की कृषि भूमि की रक्षार्थ अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट्स को पूर्व में प्रकरण की कोई जानकारी नही हो पाई और सर्वप्रथम अपीलार्थीगण को पटवारी ने उपरोक्त निर्णय एवं पालना बाबत अवगत कराया तब अपीलार्थीगण ने तुरन्त ही नकल प्राप्ति हेतु नकल का आवेदन कर दिनांक 11.03.2022 को नकल प्राप्त की तो उक्त अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा अपीलार्थीगण तुरन्त जयपुर आकर अपना अभिभाषक नियुक्त कर उनकी सलाह अनुसार यह अपील तुरन्त जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई जो और अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है वह जानकारी के अभाव में हुई है जिसका न्यायहित में माफ फरमाया जाकर अपील का मैरिट्स पर निर्णय किया जाना आवश्यक है जिसके लिये अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

फरमाया जावें एवं अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.11.2021 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट सख्या 2 लगायत 13 ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 903, 900, 897, 965, 966, 904 में प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार नवलगढ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये गये है तथा उक्त रास्ते पर विधायक कोटे से ग्रेवल सड़क निमार्ण काय हेतु वादग्रस्त आराजी के खातेदारान द्वारा पचास रूपये के स्टाम्प पेपर पर अपनी सहमति दी है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.11.2021 में किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी में प्रचलित रास्ते को राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये गये है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.11.2021 पारित किया गया है एवं वादग्रस्त आराजी के सहखातेदारों द्वारा उक्त रास्ते पर विधायक कोटे से ग्रेवल सड़क निमार्ण हेतु स्टाम्प पेपर पर लिखकर अपनी सहमति भी दी गई है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न है। ऐसी स्थिति में जब वादग्रस्त आराजी के अन्य सहखातेदारों द्वारा अपनी सहमति दी जा चुकी है तो अपीलार्थीगण द्वारा अपीलाधीन आदेश बाबत किये गये उज्रात स्वीकार किये जाने उचित प्रतीत नही होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.11.2021 को यथावत रखा जाता है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।